**रजिस्ट्रीकृत देय अभिस्वीकृति परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन चैक के अनादर के लिए नोटिस**

अ ब क

श्रीमान जी

मेरे मुवक्किल ............... निवासी .............. के अनुदेशों के अधीन एवम् उसकी ओर से मैं उत्तरवर्ती पैरा में यथा इस नोटिस को आप पर तामील करता हूँ :

1. यह कि आप ............... की ओर से मेरे मुवक्किल को............रुपये के चैक सं ............... दिनांकित ............. को जारी किया।
2. यह कि कथित बँक आपको बैकारी पर उसके बैककारी के जरिये मेरे मुवक्किल द्वारा प्रस्तुत किया गया लेकिन उसको भी "अपर्याप्त निधि" टिप्पणी के साथ आपके बैककारी द्वारा वापस कर दिया गया था।
3. यह कि मेरे मुवक्किल आपके बैककारी द्वारा चेक की वापसी शीघ्रता से टेलीफोन पर के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से आपसे सम्पर्क किया लेकिन आपने बीमा पर पुनः चैक को प्रस्तुत करने के लिए मेरे मुवक्किल को सलाह दिया कि उसका भी अनादर किया जायेगा।
4. यह कि आपके आश्वासन पर मेरे मुवक्किल ने उसके बैककारी के माध्यम से आपके बैककारी के चैंक पुनः प्रस्तुत किया बल्कि "अपर्याप्त विधि" टिप्पणी के उसी के साथ आप बैककारी द्वारा पुनः वापस कर दिया गया।
5. यह कि मेरे मुवक्किल चेक की वापसी पर, टेलीफोन पर आप से पुनः सम्पर्क किया लेकिन आपने पुनः चैक को प्रस्तुत करने के लिए मेरे मुवक्किल को सलाह दिया किसी प्रकार मेरे मुवक्किल ने चैंक का भुगतान करने के लिए आपसे अनुरोध किया लेकिन आप वैसा कर पाने में असफल हो गये।

इस नोटिस के माध्यम से मैं इस नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर भुगतान होने चैक की तारीख से ............... में ब्याज के साथ चैक रकम को अभ्यावेदन करने वाले ...... रुपये के भुगतान करने की आपसे अपेक्षा करता हूँ जिसके असफल होने पर मेरा मवक्किल परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 तथा आपके जोखिमों एवम् लागतो पर मुददे में अधिकारिता रखने वाले विधि की एक न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन आपके विरुद्ध परिवाद को दाखिल कराने के लिए विवश किया जायेगा।

मैने भविष्यगामी निर्देश के लिए मेरे अभिलेख में इस नोटिस की एक प्रतिलिपि रखी है।

**...............**

**अधिवक्ता**